

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 636] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 1991/कार्तिक 8, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1991

का.आ. 739 (अ): - केन्द्रीय सरकार, चावल के निर्यात के विकास और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, 1985 (1986 का 2) की अनुसूची में चावल जोड़ना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है;

उक्त अनुसूची में क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

“15. चावल।”

[फा. सं. 11/33/91-ई.पी (एग्री-4)]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव